उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 105/एन0बी0/एस0बी0/2021

चन्द मोहन (पुरूष) आयु 44 पुत्र स्व0 श्री बलराम सिंह, निरीक्षक नागरिक पुलिस हाल तैनात थाना प्रभारी किच्छा जिला उधम सिंह नगर।

.....याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा गृह सचिव, सचिवालय देहरादून।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक कुमांऊ क्षेत्र नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला उधमसिंह नगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री पीयूष गर्ग, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः अगस्त 31, 2022

प्रस्तुत याचिका याचीकर्ता की ओर से विपक्षी सं0 3 द्वारा याची के विरूद्ध पारित परिनिन्दा लेख आदेश दिनांकित 03.12.2020 एवं याचीकर्ता द्वारा उसके विरूद्ध पुलिस उप–महानिरीक्षक कुमांऊ क्षेत्र, नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत अपील को अपील निरस्त करने बावत पारित आदेश दिनांक 09.08.2021 को अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. याचीकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत की है कि प्रश्नगत प्रकरण के दौरान याचीकर्ता प्रभारी निरीक्षक काशीपुर, उधमसिंह नगर, के पद पर तैनात था। दिनांक 17.10.2019 की रात को कंट्रोल रूम से मृतक सोनू द्वारा आत्महत्या किये जाने की सूचना उपनिरीक्षक पंकज कुमार को प्राप्त हुई जिस पर उपनिरीक्षक पंकज कुमार मौके पर गया जहां पर उसके द्वारा सुसाइड नोट प्राप्त किया गया तथा मृतक सोनू के लाश को सर्वे सील कर लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया जिसमें मृत्यु का कारण फंदे से लटक कर आत्महत्या किया जाना पाया। मृतक सोनू की पत्नी श्रीमती वर्षा द्वारा कोई शिकायत थाना पुलिस को नही दी गयी और न ही उच्चाधिकारी गण को दी गयी और नही वह स्वयं थाना हाजा आयी। एक शिकायत बजरिये डाक प्राप्त हुई और उसकी जांच शीघ्र

करने हेतु उपनिरीक्षक गणेश पाण्डेय को दी गई। बाद में श्रीमती वर्षा द्वारा एक प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत अंकित 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता विद्वान न्यायालय में दिया गया और मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2019 के अनुसार आदेश प्राप्त होने पर दिनांक 23.12. 2019 को थाना काशीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जो (संलग्न–3 है)।

3. विवेचना के उपरान्त वादिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जांच अधिकारी द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दी गई जिसके बावजूद पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमांऊ क्षेत्र द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करने हेतु प्रारम्भिक जांच योजित की गयी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं को जांच सुपुर्द की गयी जिसमें पुलिस उपाधीक्षक द्वारा याचीकर्ता के बयान अंकित करने हेतु याचीकर्ता को बुलाया गया जिस पर याचिकर्ता द्वारा टेलीफोन से पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं को काशीपुर में कोरोना के अत्यधिक मामले आने के संबंध में अवगत कराया गया और जिस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने लिखित बयान प्रेषित करने हेतु कहा गया और जिसके आधार पर विशेष वाहक के माध्यम से याची द्वारा अपने बयान पुलिस क्षेत्राधिकारी, लालकुआं को भेजे गये।

4. पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं के द्वारा अपनी जांच में याचीकर्ता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के सारे तथ्यों का सही परिशीलन किये बिना अपनी जाचं में विपरीत निष्कर्ष प्रार्थी के विरूद्ध दिये गये हैं जिस पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 02.10.2020 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जो याचिका के साथ संलग्नक 5 है।

5. याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्टतः उल्लिखित किया गया था कि मृतक सोनू द्वारा सुसाइड नोट में भी कुछ नहीं लिखा था जो संज्ञेय अपराध कारित होने के दायरे में आता हो। वादिनी वर्षा के प्रार्थना पत्र जो डाक द्वारा प्राप्त हुआ था की जांच उपनिरीक्षक गणेश पाण्डेय के सुपुर्द किया गया। उपनिरीक्षक गणेश पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदिका वर्षा से बार बार सम्पर्क करने पर सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। जिससे आवेदिका के बयान अंकित नहीं किये जा सके हैं। जिस पर जांच पूर्ण करने में समय लग रहा है। आवेदिका वर्षा द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र याचिकाकर्ता के समक्ष आकर नही किया गया और न ही कोई अन्य प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकारी महोदय,अपर पुलिस अधीक्षक महोदय काशीपुर को दिये गये । वादिनी वर्षा के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की जांच में कोई भी सहयोग जांचकर्ता अधिकारी को नही दिया गया और न उक्त जांच में रूची दिखायी गयी यहां तक कि उपनिरीक्षक

पाण्डेय के द्वारा बार–बार सम्पर्क करने पर भी वादिनी वर्षा द्वारा अपने बयान भी दर्ज नहीं कराये गये।

6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण के तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए दिनांक 03.12.2020 को याचीकर्ता के विरूद्ध परिनिन्दा लेख का आदेश पारित किया गया और जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत् दिनांक 12.12.2019 को जो मा0 न्यायालय द्वारा मामला पंजीकृत करने के आदेश दिये गये थे, को 10 दिन विलम्ब से दिनांक 23.12.2019 को दर्ज किया जाना कहते हुए उक्त परिनिन्दा लेख की प्रविष्टि की गई जिसके विरूद्ध याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस उप–महानिरीक्षक कुमांऊ क्षेत्र के समक्ष अपील योजित की गई और जिसे पुलिस उप–महानिरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 09.08.2012 के द्वारा निरस्त किया गया।

7. विपक्षी गण द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध संपूर्ण कार्यवाही द्वेषपूर्ण भाव से योजित की गयी जबकि मामले का आंतरिक विवाद श्रीमती वर्षा व मृतक सोनू कुमार के मध्य था। विपक्षी सं0 3 द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस व प्रारम्भिक जांच द्वारा भी याचीकर्ता के विरूद्ध पूर्व से ही द्वेषपूर्ण आशय प्रतीत होता है। और जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर द्वारा क्षेत्राधिकरी लालकुआं की प्रारम्भिक जांच पर निम्न आरोप लगाये गये।

(I) याचीकर्ता के अधीनस्थगण द्वारा विवेचना दिनांकित 01.11.2019 से 26. 12.2019 में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(II) याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पारित आदेश दिनांक 12.12.2019 के अनुपालन में दिनांक 23.12.2019 को 10 दिन विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

(III) याचिकाकर्ता, पुलिस क्षेत्राधिकरी लालकूआं के समक्ष प्रारम्भिक जांच में उपस्थित होने में असमर्थ रहा है।

8. उपरोक्त आरोपों के संबंध में विपक्षी सं0 3 द्वारा याचीकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण को गलत साबित किये बिना अनदेखा किया गया, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट उल्लेखित किया गया था कि मेरे द्वारा वादिनी वर्षा के प्रार्थना पत्र जो डाक द्वारा प्राप्त हुआ था जिसकी जांच उ0नि0 गणेश पाण्डेय के सुपुर्द की गयी तथा हिदायत दी गयी कि प्रार्थना पत्र की जांच शीघ्र से शीघ्र की जाय। उ0नि0 गणेश पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदिका वर्षा से बार–बार सम्पर्क करने पर सम्पर्क नही हो

पा रहा है एवं आवेदिका के बयान अंकित नहीं किये जा सके हैं। इसलिये जांच पूर्ण करने में समय लग रहा है। आवेदिका वर्षा द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी के समक्ष आकर नही दिया गया। आवेदिका वर्षा द्वारा कोई अन्य प्रार्थना पत्र न क्षेत्राधिकारी महोदय को न ही पुलिस अधीक्षक महोदय को काशीपुर को दिया गया। अपने प्रार्थना पत्र की जांच में वादिनी वर्षा के द्वारा कोई भी सहयोग जांचकर्ता अधिकारी को नहीं दिया गया और न ही उक्त जांच में रूचि दिखाई गयी। यहां तक कि उ0नि0 गणेश पाण्डेय के द्वारा बार बार सम्पर्क करने पर भी वादिनी वर्षा के द्वारा अपने बयान भी दर्ज नहीं कराये गये। जिसकी पुष्टि स्वयं उ0नि0 गणेश पाण्डेय के द्वारा क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं को दिये गये अपने बयानों में की है। प्रकरण में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर दिनांक 23.10.2019 को पंजीकृत किये गये मुकदमा एफआईआर नं0 657/2019 धारा 302 भादवि बनाम रामगोपाल आदि की विवेचना व0उ0नि0 विनोद जोशी को मेरे द्वारा सुपुर्द की गयी। विवेचक के द्वारा विवेचना में पाया गया कि मृतक सोनू शराब पीने का आदि था। उसकी पत्नी वर्षा लगातार सोनू से शराब छोड़ने के लिये कहती थी। परन्तु सोनू शराब नहीं छोड़ता था। जिस कारण वर्षा अपने पति मृतक सोनू से नाराज रहती थी। घटना के दिन भी मृतक सोनू अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे को टीका लगाने के लिये सरकारी अस्पताल काशीपुर गया था। परन्तु वापसी में श्रीमती वर्षा घर न आकर अपने मायके चली गयी। पी0एम0 कर्ता डॉ0 के अनुसार मृतक सोनू की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई। मृतक सोनू के शरीर पर बाह्य व आन्तरिक चोट के निशान नहीं थे। घटना स्थल से मृतक सोनू का सुसाईड नोट प्राप्त हुआ था। विवेचक के द्वारा विवेचना में नामजद अभियुक्तों की नामजदगी झूठी पायी गयी। बाद विवेचना व0उ0नि0 विनोद जोशी के द्वारा मामले में अंतिम रिपोर्ट जुर्म खारीजा रिपोर्ट के साथ दिनांक 12.01.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी। उक्त तथ्यों की पुष्टि व0उ0नि0 विनोद जोशी के द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं को दौराने जांच पत्र की जांच अंकित कराये गये अपने बयानों में की गयी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादिनी वर्षा के प्रार्थना पत्र की जांच में कोई लापरवाही या देरी नहीं की गयी अपितु वादिनी वर्षा के द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया। अपने बयान अंकित नहीं कराये गये एवं उसके विपरीत पुलिस पर दबाव बनाने के लिये गलत तथ्यों का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विवेचना किये जाने का आदेश कराया गया। जिसमें श्रीमती वर्षा के द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप झूठे पाये गये है।

9. माननीय न्यायालय के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत निर्गत आदेश के क्रम में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत करने में कोई भी विलम्ब या लापरवाही नहीं की गयी है। प्रस्तुत मामले में माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार मु0एफआईआर सं0 657/2019 धारा 302 भादवि बनाम रामगोपाल आदि पंजीकृत कराया गया है। उक्त तथ्यों की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं के द्वारा सरसरी तौर पर कर दस दिन के विलम्ब से मुकदमा पंजीकृत किये जाने का आरोप लगया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रकरण में माननीय न्ययालय का आदेश प्राप्त होने के बाद उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए नामजद अभियुक्तगणों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

10. उक्त प्रकरण में प्रचलित की गयी जाचं के दौरान जांच अधिकारी क्षेत्राधिकारी, लालकुआं द्वारा बुलाये जाने के दौरान प्रार्थी को बुलाया गया था इस संबंध में प्रार्थी द्वारा क्षेत्राधिकारी लालकूआं महोदय को फोन से अवगत कराया गया कि वर्तमान में काशीपुर में कोरोना के केसों में काफी बढ़ोतरी हो गयी है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालकुआं महोदय से विस्तृत में वार्ता हुई। जिस पर क्षेत्राधिकारी लालकुआं महोदय द्वारा कहा गया कि आप अपना लिखित बयान प्रेषित कर दें । इस संबंध में प्रार्थी को आबंटित मोबाईल नं0 भी चैक किया जा सकता है। जिस कारण प्रार्थी द्वारा अपने टाईपशुदा बयान स्वहस्ताक्षरित जरिये विशेष वाहक कानि0 राजेन्द्र प्रसाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं को प्रेषित किये गये। पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं से टेलीफोनिक वार्ता व काशीपुर में कोरोना के केसों में वृद्धि होने के कारण सतर्कता एवं सावधानी बरतते हुए प्रार्थी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। इसमें प्रार्थी का उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों के उलंघन करने का कोई आशय नहीं था।

11. प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा कोई भी लापरवाही नहीं बरती गयी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं के द्वारा अपनी जांच में याचीकर्ता के स्पष्टीकरण के तथ्यों का सही परिशीलन न कर याचीकर्ता के विरूद्ध जांच में विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए जांच रिपोर्ट दी गयी है। प्रार्थी का सम्पूर्ण सेवाकाल साफ सुथरा रहा है।

12. जबकि विपक्षीगण की ओर से याचीकर्ता के कथनों का खण्डन अमित कुमार पुलिस क्षेत्राधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर, द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र दाखिल करते हुए किया गया कि शपथकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय रूद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर में बतौर पुलिस क्षेत्राधिकारी नियुक्त है और विपक्षी सं0 3 द्वारा

विपक्षीगण की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया जिसे वह भली–भांति भिज्ञ है।

13. याचीकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका तथ्यों के विपरीत मिथ्यापूर्ण रूप से योजित की गई है जिस कारण से याचिका के तथ्यों व सभी पैराग्राफ स्वीकार नही है। वास्तविकता यह है कि पुलिस उप–महानिरीक्षक कुमांऊ क्षेत्र द्वारा श्रीमती वर्षा पत्नी स्व0 श्री सोनू निवासी प्रभू विहार, कालोनी निकट पॉलीटैक्निक जिला अधम सिंह नगर के प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 दिन विलम्ब से र्दज किये जाने हेतु प्रारम्भिक जांच पुलिस क्षेत्राधिकरी लालकुआं के सुपुर्द थी। प्रश्नगत घटना दिनांक 16.10.2019 के संबंध में पुलिस उप–महानिरीक्षक को कुमांऊ क्षेत्र के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर द्वारा आदेश Ja-254/2019 दिनांकित 28.12.2019 के द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं को प्रारम्भिक जांच हेतु अधिकृत किया गया। तत्पश्चात् जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 17.8.2020 को प्रेषित किया गया जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

14. जांच रिपार्ट प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर द्वारा याचीकर्ता एवं उपनिरीक्षक गणेश पाण्डेय को दिनांक 02.10.2020 के नियम 14(2) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पुलिस अधिकारी गण/कर्मचारीगण (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 जिसे उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 आदेश 2002 द्वारा 23(2)20 के तहत् अंगीकृत किया गया और जिसमें लघु दण्ड के रूप में परिनिन्दा लेख प्रविष्टि का प्राविधान है, के संबंध में याचीकर्ता को अपना स्पष्टीकरण 15 दिन में देने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात् कारण बताओ नोटिस का उत्तर याचीकर्ता द्वारा दिनांक 23.11.2020 को दिया गया ओर जिसके अवलोकन के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा लघु दण्ड आदेश परिनिन्दा लेख प्रविष्टि याची के विरूद्ध पारित किया गया। जो याचिकर्ता के द्वारा दिये गये उत्तर में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद गणु दोष के अधार पर दिनांक 03.12.2020 को आदेश पारित किया गया।

15. याचीकर्ता द्वारा विपक्षी सं0 3 द्वारा पारित लघु दण्ड आदेश दिनांक 03.12.2020 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 26 उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 विपक्षी सं0 2 के समक्ष प्रस्तुत की और विपक्षी सं0 2 द्वारा दिनांक 09.08.2021 को याचीकर्ता की अपील निरस्त की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा याचीकर्ता के अपील निरस्त करने पर सभी तथ्यों को स्पष्ट किया गया है और अपीलीय आदेश पूरी तरह सही एवं न्यायोचित है तथा किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

16. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकर्ता को नियम 14(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पुलिस अधिकारीगण /कर्मचारीगण [दण्ड एवं अपील नियमावली 1991] जिसे उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 के तहत् अधिग्रहीत किया गया है और याचीकर्ता के स्पष्टीकरण का अवलोकन करने के उपरान्त ही याचीकर्ता के विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है। जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी निरस्त किया गया। याचीकर्ता की याचिका में कोई बल नहीं है जो निरस्त होने योग्य है याचिका निरस्त की जावे।

17. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

18. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 16/17 की रात को कोतवाली काशीपुर में रात्रीधिकारी के रूप में तैनात उप–निरीक्षक पंकज कुमार को गश्त व चैंकिग के दौरान करीब 2.45 बजे मृतक सोनू के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई जिस पर वह मौके पर गया तथा जहां उसे सुसाइड नोट प्राप्त हुआ और मृतक सोनू की लाश को सर्वे सील कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया।

19. अब जहां तक विपक्षीगण द्वारा याचीकर्ता के अधीनस्थ उपनिरीक्षक गणेश पाण्डेय आदि द्वारा विवेचना दिनांक 01.11.2019 से 26.11.2019 में कोई कार्यवाही न करना एवं याचीकर्ता द्वारा मृतक सोनू की पत्नी श्रीमती वर्षा के द्वारा मा0 न्यायालय को दिये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पारित आदेश दिनांक 12.12. 2019 के अनुपालन में दिनांक 23.12.2019 को 10 दिन विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा प्रारम्भिक जांच में पुलिस क्षेत्राधिकारी, लालकुआं द्वारा याचीकर्ता को बयान देने हेतु बुलाने में असमर्थ होने का प्रश्न है, के संबंध में याचीकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में दिये गये स्पष्टीकरण जो पत्रावली पर संलग्नक छः है, में याचीकर्ता द्वारा स्पष्ट यह उल्लेख किया गया था कि **‘‘ मेरे द्वारा वादिनी वर्षा के प्रार्थना पत्र जो डाक द्वारा प्राप्त हुआ था जिसकी जांच उ0नि0 गणेश पाण्डेय के सुपुर्द की गयी तथा हिदायत दी गयी कि प्रार्थना पत्र की जांच शीघ्र से शीघ्र की जाय। उ0नि0 गणेश पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदिका वर्षा से बार–बार सम्पर्क करने पर सम्पर्क नहीं हो पा रहा है एवं आवेदिका के बयान अंकित नहीं किये जा सके हैं। इसलिये जांच पूर्ण करने में समय लग रहा है। आवेदिका वर्षा द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी के समक्ष आकर नही दिया गया । आवेदिका वर्षा द्वारा कोई अन्य प्रार्थना पत्र न क्षेत्राधिकारी महोदय को न हीं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय काशीपुर को दिया गया। अपने प्रार्थना पत्र की जांच में वादिनी वर्षा के**

द्वारा कोई भी सहयोग जाचंकर्ता अधिकारी को नहीं दिया गया और न ही उक्त जांच में रूचि दिखाई गयी। यहां तक कि उ0नि0 गणेश पाण्डेय के द्वारा बार बार सम्पर्क करने पर भी वादिनी वर्षा के द्वारा अपने बयान भी दर्ज नहीं कराये गये। जिसकी पुष्टि स्वयं उ0नि0 गणेश पाण्डेय के द्वारा क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं को दिये गये अपने बयानों में की है कि प्रकरण में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर दिनांक 23.10.2019 को पंजीकृत किये गये मुकदमा एफआईआर नं0 657/2019 धारा 302 भादवि बनाम रामगोपाल आदि की विवेचना व0उ0नि0 विनोद जोशी को मेरे द्वारा सुपुर्द की गयी। विवेचक के द्वारा विवेचना में पाया गया कि मृतक सोनू शराब पीने का आदि था। उसकी पत्नी वर्षा लगातार सोनू से शराब छोड़ने के लिये कहती थी। परन्तु सोनू शराब नहीं छोड़ता था। जिस कारण वर्षा अपने पति मृतक सोनू से नाराज रहती थी। घटना के दिन भी मृतक सोनू अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे को टीका लगाने के लिये सरकारी अस्पताल काशीपुर गया था। परन्तु वापसी में श्रीमती वर्षा घर न आकर अपने मायके चली गयी। पी0एम0 कर्ता डॉ0 के अनुसार मृतक सोनू की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई। मृतक सोनू के शरीर पर बाह्य व आन्तरिक चोट के निशान नहीं थे। घटना स्थल से मृतक सोनू का सुसाईड नोट प्राप्त हुआ था। विवेचक के द्वारा विवेचना में नामजद अभियुक्तों की नामजदगी झूठी पायी गयी। बाद विवेचना व0उ0नि0 विनोद जोशी के द्वारा मामले में अंतिम रिपोर्ट जुर्म खारीजा रिपोर्ट के साथ दिनांक 12.01.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी। उक्त तथ्यों की पुष्टि व0उ0नि0 विनोद जोशी के द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं को दौराने जांच अंकित कराये गये अपने बयानों में की गयी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादिनी वर्षा के प्रार्थना पत्र की जांच में कोई लापरवाही या देरी नहीं की गयी अपितु वादिनी वर्षा के द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया। अपने बयान अंकित नहीं कराये गये एवं उसके विपरीत पुलिस पर दबाव बनाने के लिये गलत तथ्यों का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विवेचना किये जाने का आदेश कराया गया। जिसमें श्रीमती वर्षा के द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप झूठे पाये गये हैं।

20. माननीय न्यायालय के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत निर्गत आदेश के क्रम में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत करने में कोई भी विलम्ब या लापरवाही नहीं की गयी है। प्रस्तुत मामले में माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार मु0एफआईआर सं0 657/2019 धारा 302 भादवि बनाम रामगोपाल आदि पंजीकृत कराया गया है। उक्त तथ्यों की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं के

द्वारा सरसरी तौर पर कर दस दिन के विलम्ब से मुकदमा पंजीकृत किये जाने का आरोप लगया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रकरण में माननीय न्ययालय का आदेश प्राप्त होने के बाद उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए नामजद अभियुक्तगणों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

21. उक्त प्रकरण में प्रचलित की गयी जाचं के दौरान जांच अधिकारी क्षेत्राधिकारी लालकुआं द्वारा बुलाये जाने के दौरान प्रार्थी को बुलाया गया था इस संबंध में प्रार्थी द्वारा क्षेत्राधिकारी लालकूआं महोदय को फोन से अवगत कराया गया कि वर्तमान में काशीपुर में कोरोना के केसों में काफी बढ़ोतरी हो गयी है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालकुआं महोदय से विस्तृत में वार्ता हुई। जिस पर क्षेत्राधिकारी लालकुआं महोदय द्वारा कहा गया कि आप अपना लिखित बयान प्रेषित कर दें । इस संबंध में प्रार्थी को आबंटित मोबाईल नं0 भी चैक किया जा सकता है। जिस कारण प्रार्थी द्वारा अपने टाईपशुदा बयान स्वहस्ताक्षरित जरिये विशेष वाहक कानि0 राजेन्द्र प्रसाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं को प्रेषित किये गये। पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं से टेलीफोनिक वार्ता व काशीपुर में कोरोना के केसों में वृद्धि होने के कारण सतर्कता एवं सावधानी बरतते हुए प्रार्थी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। इसमें प्रार्थी का उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों के उलंघन करने का कोई आशय नहीं था। प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा कोई भी लापरवाही नहीं बरती गयी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं के द्वारा अपनी जांच में याचीकर्ता के स्पष्टीकरण के तथ्यों का सही परिशीलन न कर याचीकर्ता के विरूद्ध जांच में विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए जांच रिपोर्ट दी गयी है। प्रार्थी का सम्पूर्ण सेवाकाल साफ सुथरा रहा है'।

22. याचीकर्ता के उपरोक्त स्पष्टीकरण के तथ्यों का विपक्षी सं0 2 और विपक्षी सं0 3 द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं द्वारा की गयी प्रारम्भिक जांच के दौरान लिये गये बयानात गवाहन का तुलनात्मक विश्लेषण किये बिना ही याचीकर्ता को उपरोक्त आरोपों के संबंध में दोषी पाते हुए परिनिन्दा लेख प्रविष्टि आदेश पारित किया गया जबकि दौरान प्रारम्भिक जांच, जांचकर्ता उपनिरीक्षक गणेश पाण्डेय के बयान अंकित किये गये और जिसमें उनके द्वारा अपने बयान में स्पष्टतः स्वीकार किया गया कि ''**मैं वर्ष 2018 अप्रैल से थाना काशीपुर में तैनात हूं, अप्रैल 2018 से नवम्बर 2019 तक चौकी कटोराताल में तैनात रहा चौकी कटोराताल में तैनाती के दौरान दिनांक 01.11.2019 को आवेदिका वर्षा पत्नी स्व0 श्री सोनू नि0–प्रभु विहार कॉलोनी काशीपुर द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र मुझ उ0नि0 को जांच हेतु थाना कार्यालय से प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त द्वारा आवेदिका वर्षा से**

सम्पर्क किया गया, परन्तु सम्पर्क नहीं हो पाया। आवेदिका वर्षा द्वारा पत्र में अंकित पते पर जाकर आवेदिका वर्षा से कई बार सम्पर्क करने का प्रयास किया परन्तु आवेदिका वर्षा घर पर नहीं मिली, मोहल्ले वालों से जानकारी प्राप्त हुई कि, आवेदिका अपने मायके दड़ियाल जनपद रामपुर में रह रही है। जांच के दौरान ही मेरा स्थानान्तरण थाना काशीपुर के चौकी कटोरातात से चौकी प्रतापपुर थाना काशीपुर होने पर आवेदिका वर्षा द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र थाना कार्यालय काशीपुर दाखिल किया गया उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 26.12.2019 को थाना कार्यालय से उ0नि0 अनिल शर्मा को जांच हेतु दिया गया है। महोदय आवेदिका वर्षा से लगातार सम्पर्क करने व उसके घर जाने पर भी आवेदिका से सम्पर्क न हो पाने के कारण आवेदिका वर्षा के कथन अंकित नहीं हो पाये। बिना आवेदिका के कथन अंकित किये प्रार्थना पत्र की जांच किया जाना संभव नहीं था।

प्रश्न– क्या आपके पास आवेदिका वर्षा का मो0नं0 उपलब्ध था। यदि था तो आपने कब सम्पर्क किया।

उत्तर– हां आवेदिका वर्षा का मो0नं0 7500462961 है, मेरे द्वारा दो–तीन बार उक्त नम्बर पर सम्पर्क करने पर आवेदिका वर्षा ने बताया कि मैं स्वयं काशीपुर आकर अपने बयान अंकित कराऊंगी। परन्तु आवेदिका अपने बयान अंकित कराने नहीं आयी। तत्पश्चात् मेरें द्वारा आवेदिका वर्षा से सम्पर्क करने का प्रयास किया परन्तु सम्पर्क नहीं हो पाया। तदोपरान्त मेरा स्थानान्तरण चौकी प्रतापपुर होने पर प्रार्थना पत्र थाना कार्यालय दाखिल किया गया। क्योंकि प्रकरण चौकी कटोरातात से संबंधित था''

23. उपनिरीक्षक गणेश पाण्डेय के उपरोक्त बयानात के बावजूद विपक्षीगण सक्षम प्राधिकरी द्वारा याचीकर्ता के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण व उपनिरीक्षक गणेश पाण्डेय के बयानात को अनदेखा किया गया जिससे विपक्षीगण के द्वारा याचीकर्ता के विरूद्ध यह आरोप लगाया जाना कि याचीकर्ता के अधीनस्थगण द्वारा विवेचना दिनांकित 01.11.2019 से दिनांक 26.12.2019 को कोई कार्यवाही नहीं की गयी। न्यायोचित नहीं है।

24. अब जहां तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता 10 दिन विलम्ब से दर्ज किये जाने का प्रश्न है के संबंध में भी याचीकर्ता द्वारा अपने रिंजवान्डर शपथपत्र के साथ संलग्न सामान्य दैनिक विवरण दाखिल किया गया और जिसमें दाखिला प्राप्त तहरीर अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर थाना हाजा पर कायमी FIR से **657/ 19** धारा 302 भादवि को निरीक्षक महोदय के डाक पैड से दिनांक 23.12.2019 को प्राप्त होना उल्लिखित किया गया है और जिसके आधार पर प्रथम सूचना

रिपार्ट दर्ज करने पर अंत में कान्स0 1090 पूर्णागिरी द्वारा प्रमाणित करते हुए नकल तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता को **सीसीटीएनएस** पर बोल–बोलकर शब्द व शब्द कानि0 328 दलीप सिंह से लिखवाया गया।

25. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने वाले उपरोक्त दोनों कान्सटेबिल के बयानात पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं (जांच अधिकारी) द्वारा नहीं लिये गये और न ही संबंधित न्यायालय जाकर उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को न्यायालय द्वारा कब व किसके माध्यम से थाना हाजा को प्रेषित किया गया अपनी जांच रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया और बिना उपरोक्त सर्वोत्तम साक्षीगण के बयानात लिये ही श्रीमती वर्षा पत्नी सोनू के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2019 के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.12.2019 को दर्ज किये जाने बावत 10 दिन का विलम्ब बिना साक्ष्य के दर्शाया गया है और जिससे विपक्षीगण द्वारा याचीकर्ता के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को 10 दिन विलम्ब से दर्ज करने हेतु लगाये गये आरोप याचीकर्ता के स्पष्टीकरण के तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए परिनिन्दा लेख आदेश पारित करना व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्ट करना पूरी तरह द्वेषणूर्ण पूर्वाग्रह से ग्रसीत होना स्पष्ट दर्शाता है।

26. इसके अतिरक्ति पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं (जांच अधिकारी) की प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर याचीकर्ता का प्रारम्भिक जांच में बुलाने पर उपस्थित होने में असमर्थ होने का जो आरोप लगाया गया है के संबंध में भी याचीकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में दिये गये स्पष्टीकरण में अंतिम पृष्ठ पर स्पष्ट उल्लिखित किया गया था कि **''उक्त प्रकरण में प्रचलित की गयी जाचं के दौरान जांच अधिकारी क्षेत्राधिकारी लालकुआं द्वारा बुलाये जाने के दौरान प्रार्थी को बुलाया गया था इस संबंध में प्रार्थी द्वारा क्षेत्राधिकारी लालकूआं महोदय को फोन से अवगत कराया गया कि वर्तमान में काशीपुर में कोरोना के केसों में काफी बढ़ोतरी हो गयी है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालकुआं महोदय से विस्तृत में वार्ता हुई। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालकुआं महोदय द्वारा कहा गया कि आप अपना लिखित बयान प्रेषित कर दें। इस संबंध में प्रार्थी का आबंटित मोबाईल नं0 भी चैक किया जा सकता है। जिस कारण प्रार्थी द्वारा अपने टाईपशुदा बयान स्वहस्ताक्षरित जरिये विशेष वाहक कानि0 राजेन्द्र प्रसाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं को प्रेषित किये गये। पुलिस क्षेत्राधिकरी महोदय लालकुआं से टेलीफोनिक वार्ता व काशीपुर में कोरोना के केसों में वृद्धि होने के कारण सतर्कता एवं सावधानी बरतते हुए प्रार्थी सुरक्षा**

की दृष्टि से पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय लालकुआं के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। इसमें प्रार्थी का उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों के उलंघन करने का कोई आशय नहीं था''।

27. याचीकर्ता के उपरोक्त स्पष्टीकरण के तथ्यों को भी नजर अन्दाज करते हुए विपक्षीगण द्वारा याचीकर्ता पुलिस क्षेत्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ होना दर्शित करने की भी महान त्रुटि की गयी है, जबकि याचीकर्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट उल्लिखित किया गया था कि क्षेत्राधिकारी, लालकुआं द्वारा बुलाये जाने पर फोन से अवगत कराया गया कि वर्तमान में काशीपुर में कोरोना के केसों में काफी बढ़ोत्तरी हो गयी है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी, लालकुआं महोदय से विस्तृत वार्ता हुई जिस पर उनके द्वारा अपना लिखित बयान प्रेषित करने को कहा गया जिसके संबंध में याचीकर्ता द्वारा याचीकर्ता को आवंटित मोबाइल भी चैक करने को कहा था, लेकिन विपक्षी सं0 3, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर द्वारा याचीकर्ता के स्पष्टीकरण के सभी तथ्यों को अनदेखा किया गया और याचीकर्ता के स्पष्टीकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना याचीकर्ता के विरूद्ध परिनिन्दा लेख आदेश दिनांक 03.12.2020 पारित किया गया और जिसकी याचीकर्ता द्वारा विपक्षी सं0 2 पुलिस उप–महानिरीक्षक कुमाऊं क्षेत्र के समक्ष अपील की गयी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी याचीकर्ता के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के कथनों पर कोई विचार किये बिना याचीकर्ता की अपील दिनांक 09.08.2021 को निरस्त की गयी जो पूरी तरह याचीकर्ता के स्पष्टीकरण एवं गवाहान के बयानात के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए पारित किये गये है, तदनुसार याचीकर्ता के विरूद्ध पारित उपरोक्त आदेश दिनांकित 03.12.2020 एवं दिनांकित 09.08.2021 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाते है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधमसिंह नगर को निर्देशित किया जाता है कि याचीकर्ता को दी गयी परिनिन्दा लेख प्रविष्टि को प्रस्तुत आदेश प्राप्ति के अन्दर तीस (30) दिन विलुप्त करना सुनिश्चित करें। वाद की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः अगस्त 31, 2022 **(राजेन्द्र सिंह)**
देहरादून। उपाध्यक्ष (न्यायिक)